फद अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़
सरकार जरिये तहसीलदार बनाम बनारसी व अन्य
केस संख्या 12/2023 रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अ0 धारा 82 भू0 राजस्व अधि0 1956

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.06.2024	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया लेकिन अप्रार्थीगण उपस्थित नही आयें। राजकीय पैरोकार उपस्थित जिसकी बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम बानसूर के नामांतकरण संख्या 1377 निर्णय दिनांक 0702.2001 के संदर्भ में तहसीलदार बानसूर द्वारा रैफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर राजस्थान द्वारा दिनांक 31.07.2006 को निर्णय पारित कर तहसीलदार बानसूर द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर इन्तकाल संख्या 1377 वाके ग्राम बानसूर तहसील बानसूर निरस्त किया जाकर झाबरमल के सभी वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज कर स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निर्णय पारित किये जाने पर राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 11.02.2020 के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि हस्तगत प्रकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है, सरकारी भूमि से संबंधित नहीं है। रेफरेन्स सरकारी भूमि के बारे में ही पेश किया जा सकता है। प्रकरण में राजकीय पैरोकार ने भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 11.02.2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के संबंध में सहमति वक्त कर जाहिर किया कि प्रकरण सरकारी भूमि से संबंधित नहीं होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है। अतः प्रकरण राजकीय भूमि से संबंधित नहीं होने के कारण यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति आवश्यक जिला लेख भण्डार हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़	